संख्या- 3916/77-6-23-6009/237/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री अंगशुमन रूद्र,
महाप्रबंधक,
अवाडा वॉटर बैटरी प्रा.लि.
सी-11, सेक्टर-65, नोएडा ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 14/12/2023

विषय: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में चिचलिक में 1120 मेगावॉट पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना की सैद्धांतिक अनुमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया इन्वेस्ट यूपी में प्रस्तुत अपने अदिनांकित प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करें। इसके माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के चिचलिक में 1120 मेगावॉट की ऑफ-स्ट्रीम लूप पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 17.10.2023 को शासन के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण में योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी दी गई:-

1. पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी)

"पंप स्टोरेज परियोजना" एक स्वच्छ हरित एवं सुरक्षित परियोजना है। पंप स्टोरेज परियोजना को वॉटर बैटरी के रूप में भी जाना जाता है। पंप स्टोरेज परियोजना दृढ एवं प्रेषण योग्य विद्युत उत्पादित करती है। परियोजना का जीवनकाल 40-50 वर्ष है। यह परियोजना गैर-प्रदूषणकारी तथा पर्यावरण के अनुकूल भी है। पंप युक्त स्टोरेज परियोजना नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को परिवर्तित नहीं करती है/हानि नहीं पहुंचाती है, क्योंकि यह मुख्य नदी धारा पर स्थित नहीं होती है।परियोजना की अग्रिम लागत तथा भंडारण की लागत भी कम है। पंप स्टोरेज परियोजनाओं में पारंपरिक रूप से नदी की धारा पर ऊपरी तथा निचले जलाशय होते हैं। ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजनाओं की एक श्रेणी ओपन लूप है, जिसमें एक जलाशय मुख्य नदी प्रणाली पर है तथा दूसरी श्रेणी के अंतर्गत नदी को मुख्य धारा से पृथक किया गया है। एक बंद लूप पंप स्टोरेज परियोजना में, ऊपरी एवं निचले दोनों जलाशयों को नदी के मार्ग से पृथक किया जाता है। एक पंप युक्त स्टोरेज परियोजना में, जल को ऊपरी जलाशय में तब पंप किया जाता है, जब पहुंच/नवीकरणीय/सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होती है। विद्युत की उच्च मांग एवं अधिक लागत के समय, ऊपरी जलाशय से निचले जलाशय तक जल प्रवाह करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार, पंप स्टोरेज

परियोजनाएं चरम मांग के समय विद्युत उत्पादित करती हैं तथा विद्युत सस्ती होने पर ऊपरी जलाशय में जल संग्रहण किया जाता है।

2. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निर्गत पंप स्टोरेज परियोजना के संबंध में पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु दिशानिर्देशों के प्राविधानों पर चर्चा की गई। उक्त दिशानिर्देश के अंतर्गत 3.1 (पअ) के प्रस्तर-3 स्व-चिन्हित ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान हैं - "..... उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त, पीएसपी के निर्माण हेतु विकासकर्ता संभावित ऑफ-स्ट्रीम स्थलों को स्वयं भी चिन्हित कर सकते हैं। चूंकि ये स्थल नदी तंत्र से दूर हैं तथा नदी धाराओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं, अतः ऐसे स्थलों पर पीएसपी परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों से आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व राज्य तथा केंद्रीय एजेंसियों से समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने की आवश्यकता है। इससे देश में ऑफ-स्ट्रीम क्षमता का तीव्र गति से दोहन करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से विकसित परियोजनाओं को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन, इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सभी रियायतें प्रदान की जाएंगी।"

3. पंप स्टोरेज परियोजना के संबंध में दिनांक 27.09.2023 को राज्य सरकार के साथ अवाडा वॉटरबैटरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए स्थल चयन तथा सर्वेक्षण/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने का कार्य कंपनी ही कर रही है। कंपनी द्वारा अनुरोध किया गया है कि पंप स्टोरेज परियोजना के स्थल के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण करना होगा तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने हेतु अधिक समय तथा संसाधनों की आवश्यकता होगी। अतः इन परियोजनाओं को विकसित करने से पूर्व सर्वेक्षण आदि का कार्य किया जा रहा है। कंपनी के आवेदन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया जाना चाहिए ताकि एक से अधिक कंपनियां एक ही स्थल पर सर्वेक्षण आदि का कार्य प्रारंभ न करें तथा इस प्रकार की किसी भी overlapping से बचा जा सके।

4. अवाडा वॉटरबैटरी कंपनी परियोजना का विवरण:

कुल विद्युत उत्पादन लक्ष्य 1120 मेगावॉट है तथा परियोजना की लागत 6,119 करोड़ रुपए है। परियोजना स्थल जनपद-सोनभद्र की राबर्ट्सगंज तहसील में ग्राम चिचलिक है। कुल भूमि की आवश्यकता 275 हेक्टेयर है। संपूर्ण भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत है। चक्र दक्षता (Cycle efficiency) 80 प्रतिशत है। जल आवश्यकता 15 एमसीएम है तथा वाष्पीकरण के कारण खोई हुई भंडारण क्षमता को बहाल करने के लिए सोन नदी से वार्षिक आधार पर 2 एमसीएम प्रति वर्ष प्रारंभिक जल भराव की आवश्यकता होगी। कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2330 एमयू

होने की संभावना है।

5. दिनांक 17.10.2023 को शासन स्तर पर आयोजित बैठक में निर्धारित मत के क्रम में जनपद सोनभद्र में स्थापित किए जा रहे 1,120 मेगावॉट चिचलिक पम्प स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जाती है-

i. अवाडा वॉटरबैटरी प्रा. लि. द्वारा इन्वेस्ट यूपी तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के समक्ष पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

ii. अवाडा वॉटरबैटरी प्रा. लि. द्वारा उक्त परियोजना हेतु निजी संस्थाओं (Private exigencies) द्वारा अपनी लागत एवं व्यय पर उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ किया जा सकता है।

iii. राज्य सरकार सोन नदी से आवश्यक जल के आवंटन की प्रक्रिया के साथ-साथ पुनर्भरण के प्राविधान को भी सुविधाजनक बनाएगी। यद्यपि, निकासी की अनुमति केवल बाढ़ की अवधि में तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के सिंचाई विभाग के अनुमोदन के उपरांत ही प्रदान की जाएगी।

iv. अवाडा वॉटरबैटरी प्रा. लि. को उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रचलित/विद्यमान नीतियों/नियमों/योजनाओं के अनुसार अनुमोदन/अनुमोदन प्राप्त करने में राज्य सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। स्वीकृतियों को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट यूपी को सूचित करते हुए संबंधित विभागों/प्राधिकरणों को आवेदन जमा करना अवाडा वॉटरबैटरी प्रा. लि. का उत्तरदायित्व होगा।

v. अवाडा वॉटरबैटरी प्रा. लि. प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अनुसार प्राविधानित प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रारूपों के अनुसार इन्वेस्ट यूपी में अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

vi. अवाडा वॉटरबैटरी प्रा.लि. द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की गतिविधियां स्थानीय क्षेत्रों के लाभ के लिए संचालित की जाएंगी।

vii. परियोजना का विकास विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को इस विषय पर जारी पंप भंडारण के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु दिशानिर्देशों के प्राविधानों के अधीन होगा।

भवदीय,

Digitally Signed by मनोज कुमार सिंह
(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
Date: [illegible]
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा/वन/राजस्व/सिंचाई, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
4. मण्डलायुक्त, मीरजापुर।
5. निदेशक, यूपीनेडा।
6. जिलाधिकारी, सोनभद्र ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार मौर्य)
संयुक्त सचिव।